




विविध वाद संख्या-04 / 2022-23

अनुसूची 14-फारम संख्या 563

निरंतर

1 आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख के साथ
	<p>आवेदिका श्रीमति आशा देवी, पति-श्री सुभाष साहु, ग्राम-बड़ाजामदा, पो०-बड़ाजामदा, थाना-गुवा, जिला-प० सिंहभूम, चाईबासा ने आवेदन देकर अनुरोध किया है कि मौजा-बड़ाजामदा, थाना संख्या-774, खाता नं०-141, प्लॉट नं०-747, रकवा-0.02ए० भूमि का ऑनलाईन -II में दर्ज नहीं है।</p> <p>संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि हाल सर्वे खतियान में मौजा-बड़ाजामदा, थाना संख्या-774, खाता नं०-141, प्लॉट नं०-747, रकवा-0.02ए० भूमि में डोमु नायक, नीलकंठ नायक ईत्यादि के नाम पर दर्ज है। ना०मु०सं०-35/2011-12 दिनांक 18.05.2011 के द्वारा नामांतरण होकर ऑनलाईन पंजी-II के भाग संख्या-1 पृष्ठ संख्या-53 में श्रीमति आशा देवी, पति-श्री सुभाष साहु के नाम पर दर्ज है। किन्तु ऑनलाईन लगान शुन्य दर्शा रहा है। उक्त भाग पृष्ठ में आवेदिका के अलावे अन्य जमाबंदी रैयतों का भी कायम है। उक्त भाग पृष्ठ से अलग करने के पश्चात ही लगान दर्ज कर लगान भुगतान किया जा सकता है।</p> <p>अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा-बड़ाजामदा, थाना संख्या-774, खाता नं०-141, प्लॉट नं०-747, रकवा-0.02ए० भूमि श्रीमति आशा देवी, पति-श्री सुभाष साहु, ग्राम-बड़ाजामदा के नाम पर ऑनलाईन पंजी-II के नया भाग संख्या-.....2..... पृष्ठ संख्या-.....96..... में दर्ज करें। संबंधित मामला को e-court के माध्यम से निष्पादित करें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी।</p>	